न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

डॉ0सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
60/2022/प्रा.पत्र/2023	20.07.2022	22.08.2023

डा0 मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री सचिन खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री सीताराम खण्डेलवाल एफ.बी.औ. मैसर्स राधेश्याम सचिन कुमार सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक राज0 निवासी लाल कुएँ के सामने बड़ा तख्ता टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (v) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी की और से श्री सचिन कुमार स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 22.08.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2022 को समय 11.21 ए0.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राधेश्याम सचिन कुमार सुभाष बाजार टोंक राज0 पर पहुंचां। वहॉ पर एफ.बी.ओ. की हैसियत से सचिन खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री सीताराम खण्डेलवाल खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, जिसे अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे गुड, तेल, घी, ब्रान्डेड व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** प्लास्टिक के कट्टे में आम जनता को विक्रय करने हेतु रखी हुई थी, जिसका निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सचिन खण्डेलवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सचिन खण्डेलवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** लगभग 25 किलोग्राम एक प्लास्टिक कट्टे मे से 2.00 किलोग्राम को नियमानुसार हिलामिलाकर एकरूप कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सचिन खण्डेलवाल को रू0 280–अक्षरे दो सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** 2.00 किलोग्राम को बराबरा–बराबरा चार भाग तैयार कर प्रत्येक 500–500 ग्राम भाग को साफ व सूखी पोलीथीन मे रखकर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1713

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कमांक I–3146 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–3146 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ. बी.ओ. सचिन खण्डेलवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2022/10334 दिनांक 11–5–2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1511/एक्ट/2022/1512 दिनांक 21–4–2022 अनुसार सचिन खण्डेलवाल से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** का होना पाया गया।

प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)**का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं होने से हल्दी का खुला बेचान किया है इस कारण कम से कम जुर्माने से दण्डित किये जाने का श्रम करें। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)**का विकय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)**का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 अप्रार्थी श्री सचिन खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री सीताराम खण्डेलवाल एफ.बी.औ. मैसर्स राधेश्याम सचिन कुमार सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक राज0 निवासी लाल कुएँ के सामने बड़ा तख्ता टोंक पर शास्ती 15,000/– (अक्षरे पन्द्राह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22–8–2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22–8–2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक